

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-4/2018/66/दो-4-2018-32(1)/2017
लखनऊ: दिनांक: 15 फरवरी, 2018

विज्ञप्ति/नियुक्ति

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-270/एस एण्ड ए/2017, दिनांक 24-08-2017 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-303/एस एण्ड ए/2017, दिनांक 07-12-2017 में प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर शासन की विज्ञप्ति/ नियुक्ति संख्या-1/2018/32/दो-4-2018-32(1)/2017, दिनांक 22 जनवरी, 2018 के क्रम में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 यथासंशोधित के नियम-18, 20 एवं 21 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी- श्री अमित वर्मा एवं श्री सन्तोष कुमार गौतम को नियम-22(1) की व्यवस्थानुसार रोस्टर के आधार पर व्यवस्थित करते हुए प्रस्तर-2, 3 एवं 4 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची अनन्तिम मानी जायेगी तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची पृथक से निर्धारित की जायेगी।

3- उपर्युक्त नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय में योजित सम्बन्धित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। ऐसे समस्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति सतर्कता जांच के निष्कर्ष के अधीन होगी, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच लम्बित है।

4- सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित होने वाले उक्त अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं चरित्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किये जाने से पूर्व की अवधि का कोई प्रतिकूल तथ्य यदि अभ्यर्थी के स्वयं के संज्ञान में नहीं है तो इस आशय के शपथ-पत्र के साथ महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुसार वे यथानिर्दिष्ट स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे। प्रश्नगत अवधि में उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य उनके संज्ञान में है तो इसकी सूचना वे महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध करा देंगे।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव

संख्या-4/2018/66(1)/दो-4-2018-32(1)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

विशेष वाहक द्वारा

- (1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-270/एस एण्ड ए/2017, दिनांक 24-08-2017 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-303/एस एण्ड ए/2017, दिनांक 07-12-2017 के सन्दर्भ में सीधी भर्ती से चयनित उपरोक्त अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं आवेदन-पत्र मूलरूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, न्याय/विधायी तथा संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- (6) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (7) सम्बन्धित अभ्यर्थी, द्वारा- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (8) न्याय (उच्च न्यायालय) अनुभाग-1
- (9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।